न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
25/2023	FSS ACT	23.06.2023	09.01.2026

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

—आवेदक

बनाम

1. तपेश कुमार गोयल पुत्र श्री श्रीभगवान गोयल, उम्र 59 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्स :– तपेश बन्धु उद्योग, निहालगंज कोठी, धौलपुर निवासी निहालगंज कोठी धौलपुर 328001
2. प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, उम्र 60 वर्ष, मालिक मैसर्स बांके बिहारी ट्रेडर्स 30/12 तिवारी गली, रावतपाडा, आगरा (उ.प्र) 282003, निवासी 30/105, चिटठी खाना, रावतपाडा, आगरा यू.पी 282003
3. अरूण कुमार एम डायरेक्टर मैसर्स :– महावीर कोकोनट एण्ड एग्रो प्रोडक्टस प्रा0 लि0 फर्स्ट फ्लोर, साधना रोड, के.आर. एक्शटेंशन, तुमकुर (कर्नाटक) 572101

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 52 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 09.12.2022 को दोपहर 02:30 पीएम बजे मैसर्स तपेश बन्धु उद्योग, निहालगंज कोठी, धौलपुर निवासी निहालगंज कोठी, धौलपुर 328001 पर पहुंचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना तपेश कुमार गोयल पुत्र श्री श्रीभगवान गोयल, उम्र 59 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्स :– तपेश बन्धु उद्योग, निहालगंज कोठी, धौलपुर निवासी निहालगंज कोठी धौलपुर 328001 का होना बताया, खाद्य रजिस्ट्रेशन मौके पर दिखाया जो पत्रावली में संलग्न है। निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे 10 पैकेट (प्रत्येक 01 किलोग्राम) Desiccated Coconut Powder (Mangal) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त Desiccated Coconut Powder (Mangal) में मिलावटी/मिथ्याछाप का प्रतीत हुआ तो आवेदक ने उक्त Desiccated Coconut Powder (Mangal) का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त Desiccated Coconut Powder (Mangal) में से 04 कम्पनी पैकेट (प्रत्येक 01 किलोग्राम) Desiccated Coconut Powder (Mangal) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता तपेश कुमार गोयल पुत्र श्री श्रीभगवान गोयल को रू. 880/- (आठ सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 04 पैकेट Desiccated Coconut Powder (Mangal) को विक्रेता एवं गवाहान को उक्त खरीदशुदा Desiccated Coconut Powder (Mangal) के पैकिटों को चार प्लास्टिक के डिब्बों मे रखकर ढक्कन बंद किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 2670 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 2670 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार-चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर तपेश कुमार गोयल पुत्र श्री श्रीभगवान गोयल के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता से खाद्य पदार्थ के क्रय बिल के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि इसका बिल मैं बाद में दे दूंगा। मौके पर दो तीन व्यक्ति खडे थे जिनको गवाह बनने को कहा तो उन्होने गवाह बनने व हस्ताक्षर करने के मना कर दिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/634 दिनांक 23.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/1231/एक्ट/2022/1232 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया Desiccated Coconut Powder (Mangal) मिथ्याछाप (Misbrand) प्रकृति का पाया गया मूल जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स तपेश बन्धु उद्योग निहालगंज कोठी धौलपुर को पत्र लिखकर उक्त खाद्य पदार्थ के कय बिल की जानकारी चाही जिस पर उनके पत्र दिनांक 17.01.2023 के द्वारा खाद्य पदार्थ का कय बिल मैसर्स बांके बिहारी ट्रेडर्स 30/12, तिवारी गली रावतपाडा, आगरा का प्रस्तुत किया जिस पर उक्त फर्म से पत्र व्यवहार करने पर उनके द्वारा मैसर्स महावीर कोकोनट एण्ड एग्रो प्रोडक्टस प्रा0लि0 फर्स्ट फ्लोर, साघरा रोड, के.आर. एक्शटेंशन, तुमकुर (कर्नाटक) का बिल प्रस्तुत किया जिस पर आवेदक द्वारा उनके पत्र व्यवहार करने पर उनके द्वारा निदेशक के नाम व पते भिजवाये गये। उक्त समस्त पत्रों की प्रतियां पत्रावली में संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जवाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जवाव में निवेदन किया है कि श्री पदन सिंह परमार द्वारा Desiccated Coconut Powder (Mangal) ब्राण्ड का नमूना लिया गया तव नमूना मिस ब्राण्ड नहीं था क्योंकि नमूने के वाहरी आवरण को खुली आंखों से देखा जा सकता है और जब नमूना लिया तब श्री पदम सिंह परमार द्वारा फर्द रिपोर्ट बनायी गयी तब उस फर्द रिपोर्ट में यह अंकित नहीं था कि नमूने के बाहरी आवरण में क्या–क्या कमियां थी इस कारण स्पष्ट है कि जब नमूना लिया गया तब वह नमूना मिस ब्राण्ड नहीं था। पदम सिंह परमार द्वारा किस बैच नं0, किस मैन्यूफक्चरिंग डेट, किस एक्सपायरी डेट, किस बेल्ट विफोर का नमूना लिया गया यह बात मौके पर बनाई गयी फर्द रिपोर्ट में अंकित नहीं है इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। दिनांक 09.12.2022 को पदम सिंह परमार का खाद्य सुरक्षा अधिकारी F.S.O होना साबित नहीं इस कारण दिनांक 09.12.2022 को सेम्पल (नमूना) लेने की कार्यवाही स्वतः ही NUL AND VOID हो जाती है इस कारण प्राथीगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है और प्रार्थीगण वरी किये जाने योग्य है। प्रार्थी नं 02 प्रदीप कुमार न तो कोकोनट पाउडर की

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

निर्माता कम्पनी है और न ही निर्माता लाइसेंसधारी । प्रार्थी संख्या 02 एक थोक व्यापारी है इस कारण भी मिसब्राण्ड के आरोप में फुटकर एवं थोक व्यापारी को दण्डित नहीं किया जा सकता है जैसा कि निम्न नजीर में प्रतिपादित किया गया है। 1998(1)Cr.L.J (S.C) Page 1

धारा 43 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कौन–कौनसी प्रयोगशालाएं निरीक्षण करने के लिये राज्य स्तर पर मान्य होगी अर्थात मान्यता प्राप्त होगी। उन प्रयोगशालाओं का राज्य पर राज्य भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उक्त गजट नोटिफिकेशन में उक्त पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री भरतपुर राज0 का नाम अंकित नहीं है। इस कारण भरतपुर की लैबोरेट्री द्वारा जारी किसी भी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण को दण्डित नहीं किया जा सकता है क्योंकि भरतपुर की लैबोरेट्री भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में ACCRETADE LAB नहीं है इस कारण भी प्रार्थीगण वरी किये जाने योग्य नहीं है। पदम सिंह परमार द्वारा जो नमूना लेना बताया है। इसकी जांच रिपोर्ट के अवलोकन करने पर USE BY DATE NOT GIVEN के आधार पर कोकोनट पाउडर को मिसब्राण्ड बताया गया है जबकि नमूने के लेबल पर Date of Mfg/PKg Nov 2022 अंकित है तथा उस नमूने की Best before 8 month from the month of packing अंकित है तथा BATCH NO. ABK22BAL अंकित है। ऐसी स्थिति में जहां किसी नमूने पर Batch no. Date of Manufacturig/PKg तथा Best before अंकित हो वहां नमूने को मिसब्राण्ड नहीं माना जा सकता है जैसा कि निम्न नजीर में प्रतिपादित किया गया है। 2016 Cr.L.J(KERLA) Page 2069। अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार कर धारा 26(2)(ii) FSS की कार्यवाही ड्राप किये जाने की कृपा की जावे।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्तगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./1231/Act/2022/1232 DATE 19-12-2022** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:— "**Opinion**- The sample of **'Desiccated Coconut Powder (Mangal Brand)'** bearing code & serial No. **D-2670** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Misbranded** Under section 3(1)(zf)(C)(i) of food Safety and Standards Act, 2006.

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैडर्ड **Desiccated Coconut Powder (Mangal Brand)** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी **मिसब्राण्ड Desiccated Coconut Powder (Mangal)** बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी 1. तपेश कुमार गोयल पुत्र श्री श्रीभगवान गोयल, उम्र 59 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्स :— तपेश बन्धु उद्योग, निहालगंज कोठी, धौलपुर निवासी निहालगंज कोठी धौलपुर 328001 2. प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, उम्र 60 वर्ष, मालिक मैसर्स बांके बिहारी ट्रेडर्स 30/12 तिवारी गली, रावतपाडा, आगरा (उ.प्र) 282003, निवासी 30/105, चिटठी खाना, रावतपाडा, आगरा यूपी 282003 3. अरूण कुमार एम डायरेक्टर मैसर्स :— महावीर कोकोनट एण्ड एग्रो प्रोडक्टस प्रा0 लि0 फर्स्ट फ्लोर, साधना रोड, के.आर. एक्शटेंशन, तुमकुर (कर्नाटक) 572101 के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 11000/—रुपये (ग्यारह हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner